झारखण्ड सरकार

कार्यालय :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0ब0–18/2018– 149   दिनांक :– 11.2.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पार्कों का रख–रखाव एवं सौन्दर्यीकरण तथा जमशेदपुर वन प्रमण्डल के घाटशिला वन प्रक्षेत्र अंतर्गत जगन्नाथपुर NH-33 के दोनों ओर कंटीले तार से घेरान के साथ (Multy row with barbed wire fencing) पथतट वृक्षारोपण कार्य के लिए कुल **रू0 96.190 लाख (छियान्वे लाख उन्नीस हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–31/2018–50/स्वी0 व0प0 दिनांक–28.01.2019 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0बजट–31/2018–104 व0प0 दिनांक–31.01.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 96.190 लाख (छियान्वे लाख उन्नीस हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	60.578
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	35.612
कुल :–		**96.190**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) एवं (ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम संख्या–174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरुप किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–18/2018–** 149 **दिनांक–** 11.2.2019

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–18/2018–** 149 **दिनांक–** 11.2. 2019

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ सिमडेगा/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित कि जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों का रख–रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य का प्रमंडलवार भैतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य			
			प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii		iii	iv	v	vi
राँची वन प्रमण्डल, राँची	1	मूरी टूंगरी पार्क, सिल्ली का रख–रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	8.861	7.089	1.772	8.861
	2	दीन–दयाल पार्क, मोरहाबादी का रख–रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	9.392	3.424	5.968	9.392
	3	अम्बेदकर पार्क, सिल्ली का रख–रखाव एव सौन्दर्यीकरण	0.440	0.352	0.088	0.440
	4	हाईकोर्ट कॉलोनी, डोरण्डा, राँची के सड़क किनारे का रख–रखाव एव सौन्दर्यीकरण	3.532	3.032	0.500	3.532
	5	राजभवन से लेकर करमटोली चौक तक सड़क किनारे का रख–रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	3.532	3.032	0.500	3.532
	6	स्टेट गेस्ट हाउस से सी0बी0आई0 होते हुए रांची कॉलेज तक सड़क किनारे का रख–रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	3.532	3.032	0.500	3.532
	7	मुख्यमंत्री आवास से रांची कॉलेज तक का सड़क किनारे का रख–रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	3.532	3.032	0.500	3.532
	8	ऑडियो विजुअल सेन्टर का रख–रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	0.141	0.113	0.028	0.141
	9	निलगिरी हिल्स, सिल्ली का रख–रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	0.260	0.208	0.052	0.260
	10	ऑक्सीजन पार्क, मोरहाबादी का रख–रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	27.038	19.604	7.434	27.038
योग :–			**60.260**	**42.918**	**17.342**	**60.260**
सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	1	जय प्रकाश उद्यान सिमडेगा का रख–रखाव	11.393	7.593	3.800	11.393
योग :–			**11.393**	**7.593**	**3.800**	**11.393**
सकल योग :–			**71.653**	**50.511**	**21.142**	**71.653**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित कि जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ पथतट वृक्षारोपण (दोनों तरफ) का भैतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य			
			प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii		iii	iv	v	vi
जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	1	जमशेदपुर वन प्रमण्डल के घाटशिला वन प्रक्षेत्र अंतर्गत जगन्नाथपुर NH-33 के दोनों ओर कंटीले तार से घेरान के साथ पथतट वृक्षारोपण	24.537	10.067	14.470	24.537
सकल योग :–			**24.537**	**10.067**	**14.470**	**24.537**
कुल सकल योग :–			**96.190**	**60.578**	**35.612**	**96.190**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2018-19 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-18/2018/149

दिनांक - 11-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एव व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	90921	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	4,291,800.00 रुपये बयालीस लाख इनकानवे हजार आठ सौ
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	90923	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	759,300.00 रुपये सात लाख उनसठ हजार तीन सौ
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	90924	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,006,700.00 रुपये दस लाख छः हजार सात सौ

योग: 6,057,800.00

क्रमिक योग: रुपये साठ लाख सत्तावन हजार आठ सौ

11/2

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.DEVELOPMENT(HOFF)RANCHI

Run Date: 11/2/2019

पत्र संख्या - 01/YB-18/2018/149

दिनांक - 11-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	90925	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,734,200.00 रुपये स त्र ह लाख चौतीस हजार दो सौ
5	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	90927	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	380,000.00 रुपये तीन लाख अस्सी हजार
6	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	90928	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,447,000.00 रुपये चौदह लाख सैतालीस हजार

योग: 3,561,200.00

क्रमिक योग: 9,619,000.00

रुपये छयानवे लाख उन्नीस हजार

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D[illegible])RANCHI

11/2

Run Date: 11/2/2019